



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934

No. 35]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013

एफ. सं. बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/5/63/2013.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114अ तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करेंगे।
- (3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- क) 'अधिनियम' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;
- ख) 'प्राधिकरण' से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- ग) 'अर्पणकर्ता' से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पुनर्बीमा संविदा करता है अथवा वह पुनर्बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पुनःअध्यर्पण संविदा करता है;
- घ) 'अध्यर्पण' से उस बीमाकर्ता द्वारा, जिसने मूल बीमाकृत व्यक्ति को पॉलिसी जारी की है, पुनर्बीमाकर्ता को दिया गया बीमे का अंश अथवा पुनर्बीमाकर्ता द्वारा पुनःअर्पणकर्ता को दिया गया संविदा का अंश अभिप्रेत है;
- ङ) 'कवर नोट' से पुनर्बीमाकर्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पुनर्बीमा दलाल के द्वारा जारी किया गया वह लिखित दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें संविदा की शर्तों का विवरण एवं प्रत्येक पुनर्बीमाकर्ता के पास रखी गई जोखिम के प्रतिशत का विवरण दिया गया है।
- च) 'जोखिम पुनर्बीमा' से ऐसी एकल पॉलिसी का आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से पुनर्बीमा अभिप्रेत है जिसमें अध्यर्पण के लिए अलग से बातचीत की गई है तथा पुनर्बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के पास प्रत्येक व्यक्ति निवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का विकल्प है;

- छ) 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता' से वह/वे बीमाकर्ता अभिप्रेत है / हैं जो केवल पुनर्बीमा व्यवसाय करता है/करते हैं तथा जिसे / जिन्हें इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा बीमा अधिनियम की धारा 101अ के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है ।
- ज) 'पूल' से बीमा अथवा पुनर्बीमा का कोई ऐसा संयुक्त हामीदारी कार्य अभिप्रेत है जिसमें सहभागी बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता सारे लिखित व्यवसाय में एक पूर्वनिर्धारित और नियत हित धारण करता है / करते हैं ।
- झ) 'पुनःअध्यर्पण' से वह लेनदेन अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक पुनर्बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता को अपने द्वारा पूर्व में धारित सारा पुनर्बीमा अथवा उसका अंश अध्यर्पित करता है;
- ञ) 'प्रतिधारण' से जोखिम का वह अंश अभिप्रेत है जिसे बीमाकर्ता अपनी ओर से ग्रहण करता है;
- ट) 'पुनर्बीमा संविदा' से सभी पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो पुनर्बीमा संविदा की सभी शर्तों और अन्य उपबंधों का एक संपूर्ण, सही और निश्चित अभिलेख उपलब्ध कराता है ।
- ठ) 'संधि' से बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच पुनर्बीमा की वह व्यवस्था अभिप्रेत है, जो सामान्यतः एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए होती है तथा जो व्यवसाय के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों के पुनर्बीमा के लिए लागू तकनीकी विवरण और वित्तीय शर्तें निर्धारित करती है;
- ड) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो यथास्थिति उन अधिनियमों अथवा नियमों में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं ।

अध्याय II

3. पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया

- (1) प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) का पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहेगा :
- (क) देश के भीतर प्रतिधारण को अधिकतम करना;
- (ख) पर्याप्त क्षमता विकसित करना;
- (ग) उपगत पुनर्बीमा लागतों के लिए सर्वोत्तम संभव संरक्षण सुनिश्चित करना;
- (घ) व्यवसाय के संचालन को सरल बनाना ।
- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) अपने वित्तीय सामर्थ्य, जोखिमों की गुणवत्ता और कारोबार की प्रमात्रा के अनुरूप अधिकतम संभव प्रतिधारण बनाये रखेगा । प्राधिकरण किसी बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी प्रतिधारण नीति को उचित सिद्ध करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) किसी विदेशी बीमाकर्ता का केवल प्रतिनिधि मात्र नहीं है, उसे ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझेगा ।
- (3) प्रत्येक बीमाकर्ता भारत में लिखित बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए प्रत्येक पॉलिसी पर बीमाकृत राशि का ऐसा प्रतिशत भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को अध्यर्पित करेगा जो प्राधिकरण द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 के भाग IVक के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।
- (4) प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) का पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से शुरू होगा। प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) प्राधिकरण को आगामी वर्ष के लिए अपना पुनर्बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन पहले प्रस्तुत करेगा ।
- उपर्युक्त के बावजूद, प्राधिकरण यदि आवश्यक समझे तो बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) को प्राधिकरण के पास प्रस्तुत किये गये पुनर्बीमा कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए निर्देश दे सकेगा तथा बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम में ऐसे परिवर्तन तत्काल समाविष्ट करेगा ।
- (5) बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) विभिन्न यथार्थपरक आपदा परिदृश्य परीक्षणों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि विपत्ति संचयनों के संबंध में पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं तथा उनके पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले उनके निदेशक मंडल द्वारा उनका अनुमोदन किया गया है ।
- (6) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) प्राधिकरण के पास पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची, उनकी रेटिंग और पुनर्बीमा व्यवस्था में उनके अंश के साथ प्रत्येक पुनर्बीमा संधि संविदा की शब्द-रचना की प्रतिलिपि और उस वर्ष के संबंध में हानि-आधिक्य कवर कवरनोट दाखिल करेगा । सभी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से प्रलेखीकृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के भीतर प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाना चाहिए ।

- (7) प्राधिकरण किसी बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) के पुनर्बीमा कार्यक्रम के संबंध में अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण माँग सकेगा तथा ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझेगा;
- (8) प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) कोई भी नई पुनर्बीमा व्यवस्था प्राधिकरण के पास निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ बोर्ड की बैठक आयोजित होने से 15 दिन के अंदर पूरा विवरण, प्रलेखन और ऐसी व्यवस्था के लिए कारण देते हुए दाखिल करेगा। बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की पुनर्बीमा व्यवस्था का नवीकरण वित्तीय वर्ष के अनुरूप हो।
- (9) बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) भारत से बाहर अपना पुनर्बीमा व्यवसाय केवल ऐसे पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ करेंगे जिनके पास कारोबार करने के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से गणना करके पिछले पाँच वर्ष की अवधि में कम से कम बीबीबी रेटिंग (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर की) अथवा किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी की समतुल्य रेटिंग है। बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) पुनर्बीमा कार्यक्रम में पुनर्बीमाकर्ताओं की सहभागिता को स्वीकार करते समय दावों के संबंध में उनके पिछले निष्पादन का ध्यान रखेंगे। अन्य पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ कारोबार के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित होगा। बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) लॉयड सिंडिकेट के साथ भी पुनर्बीमा कर सकेंगे, परंतु वे यह ध्यान रखेंगे कि अलग-अलग सिंडिकेट के साथ कारोबार के ऐसे शेर उस सीमा तक होंगे जो सिंडिकेट की क्षमता के अनुरूप हों।
- (10) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अग्नि (फायर), समुद्री हल (मरीन हल) और अन्य वर्गों के पुनर्बीमा अधिशेषों के लिए सभी बीमाकर्ताओं के परामर्श से ऐसे आधारों, सीमाओं और शर्तों पर, जो सभी बीमाकर्ताओं के लिए उचित हैं, घरेलू पूल संगठित करेगा तथा भारत के भीतर व्यवसाय का प्रतिधारण ऐसे प्रतिशतों पर बनाये रखने में सहायता करेगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा। इस प्रकार की गई व्यवस्थाएँ ऐसे पूल बनाये जाने के तीन महीने के भीतर अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएँगी।
- (11) वर्ग-वार घरेलू पुनर्बीमा व्यवस्था का अधिशेष बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) द्वारा स्वतंत्र रूप से उप-विनियम (7) का अनुपालन करनेवाले किसी भी पुनर्बीमाकर्ता को इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि भारत से बाहर अध्यर्पित कुल पुनर्बीमा प्रीमियम की निम्नलिखित सीमाओं तक किसी एक पुनर्बीमाकर्ता को दिया जा सकता है।

पुनर्बीमाकर्ताओं की रेटिंग (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर के अनुसार तथा अन्य समतुल्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के लिए लागू)	विनियम 3(11) के अंतर्गत अध्यर्पण की अनुमत सीमा
स्टैंडर्ड एण्ड पूअर की बीबीबी	10 प्रतिशत
स्टैंडर्ड एण्ड पूअर की बीबीबी से अधिक तथा एए तक और एए सहित	15 प्रतिशत
स्टैंडर्ड एण्ड पूअर की एए से अधिक तथा एएए तक और एएए सहित	20 प्रतिशत

जहाँ किसी विशेषीकृत बीमा के संबंध में किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को ऐसी सीमा से अधिक शेर अध्यर्पित करना आवश्यक है, वहाँ बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) ऐसे अध्यर्पण के लिए कारण बताते हुए प्राधिकरण का विशिष्ट अनुमोदन ले सकता है।

- (12) प्रत्येक बीमाकर्ता ऐसे अध्यर्पण भारत से बाहर देने से पहले भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को अपने जोखिम पुनर्बीमा और संधि अधिशेषों में सहभागिता करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त बाजार-व्यापी पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ करेगा।
- (13) प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) से यह अपेक्षित होगा कि वह अपने वार्षिक लेखों के साथ प्राधिकरण को अपने पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित सूचना और विवरणियाँ ऐसे फार्मों में प्रस्तुत करे जिन्हें प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे अथवा जिनकी अपेक्षा करे।

4. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय

- (1) आवक पुनर्बीमा व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) के पास आवक पुनर्बीमा व्यवसाय की हामीदारी के लिए उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित हामीदारी नीति होगी।
- (2) बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम पैंतालीस दिन पहले प्राधिकरण के पास कारोबार के वर्गों, भौगोलिक विस्तार, हामीदारी की सीमाओं और लाभ उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अपनी हामीदारी नीति दाखिल करेगा।
- (3) बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवसाय की स्वीकृति के संबंध में निर्णय आवश्यक जानकारी और अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा लिये जाएँगे।
- (4) बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) जब भी उक्त हामीदारी नीति में उसके निदेशक मंडल से विधिवत् अनुमोदित कोई परिवर्तन किया जाता है तब उन परिवर्तनों को भी दाखिल करेगा।

5. बकाया हानि प्रावधानीकरण

- (1) प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) दलालों/अर्पणकर्ताओं से प्राप्त हानि संबंधी जानकारी की सूचनाओं के आधार पर स्वीकृत प्रत्येक पुनर्बीमा व्यवस्था के लिए बकाया दावों के लिए प्रावधान करेगा तथा जहाँ ऐसी सूचनाएँ प्राप्त नहीं की जाती हैं, वहाँ बीमाकिक अनुमान के आधार पर उक्त प्रावधान करेगा।
- (2) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) उसके पुनर्बीमा स्वीकृत संविभाग के संबंध में उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये (आईबीएनआर) दावों के लिए बीमाकिक अनुमान के आधार पर उपयुक्त प्रावधानीकरण करेगा।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/12/असा.]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 7th February, 2013

**Insurance Regulatory and Development Authority
(General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013**

F. No. IRDA/Reg./5/63/2013.— In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement :

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013.
- (2) These Regulations replace the Insurance Regulatory and Development Authority (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2000.
- (3) These regulations shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions:

In these regulations, unless the context otherwise requires:

- a) 'Act' means the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999);
- b) 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- c) 'Cedant' is an insurer who enters into a reinsurance contract or a reinsurer who enters into a retrocession contract;
- d) 'Cession' means the part of insurance passed to a reinsurer by the insurer which issued a policy to the original insured or part of contract ceded by a reinsurer to a retrocessionaire;
- e) 'Cover note' is a written document issued by the reinsurer or the reinsurance broker authorized by it, detailing the contract terms and conditions of the contract and the details of the percentage of risk placed with each reinsurer.

- f) 'Facultative' means the reinsurance of a part or all of a single policy in which cession is negotiated separately and that the reinsurer and the insurer have the option of accepting or declining each individual submission;
- g) 'Indian re-insurer/s' means the insurer/s who carry on exclusively reinsurance business and is notified in this behalf by the Authority under Sec.101A of Insurance Act.
- h) 'Pool' means any joint underwriting operation of insurance or reinsurance in which the participating insurer/s or reinsurer/s assume a predetermined and fixed interest in all business written.
- i) 'Retrocession' means the transaction whereby a reinsurer cedes to another insurer or reinsurer all or part of the reinsurance it has previously assumed;
- j) 'Retention' means the portion of the risk which an insurer assumes for his own account;
- k) 'Reinsurance contract' is the legally binding document on all the parties that provide a complete, accurate and definitive record of all the terms and conditions and other provisions of the reinsurance contract.
- l) 'Treaty' means a reinsurance arrangement between the insurer and the reinsurer, usually for one year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of some class or classes of business;
- m) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), rules made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or rules as the case may be.

CHAPTER II

3. PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR REINSURANCE ARRANGEMENTS

- (1) The Reinsurance Programme of every (re)insurer shall be guided by the following objectives to:
- Maximize retention within the country;
 - Develop adequate capacity;
 - Secure the best possible protection for the reinsurance costs incurred;
 - Simplify the administration of business.
- (2) Every (re)insurer shall maintain the maximum possible retention commensurate with its financial strength, quality of risks and volume of business. The Authority may require an (re)insurer to justify its retention policy and may give such directions as considered necessary in order to ensure that the Indian (re)insurer is not merely fronting for a foreign insurer.

5656/2013-2

- (3) Every insurer shall cede such percentage of the sum assured on each policy for different classes of insurance written in India to the Indian reinsurer/s as may be specified by the Authority in accordance with the provisions of Part IVA of the Insurance Act, 1938.
- (4) The reinsurance programme of every (re)insurer shall commence from the beginning of every financial year. Every (re)insurer shall submit to the Authority, his reinsurance programme for the forthcoming year, 45 days before the commencement of the financial year.
Notwithstanding what is stated above, the Authority, if it considers necessary, may direct the (re)insurer to carry out changes to the reinsurance programme filed with it and the (re)insurer shall incorporate such changes forthwith in their reinsurance programme.
- (5) The (re)insurers shall ensure that the reinsurance arrangements in respect of catastrophe accumulations, using various realistic disaster scenario testing are adequate and approved by their Board of Directors before filing the same with the Authority along-with their reinsurance programme.
- (6) Within 30 days of the commencement of the financial year, every (re)insurer shall file with the Authority a copy of every reinsurance treaty contract wording and excess of loss cover covernote in respect of that year together with the list of reinsurers their ratings and their shares in the reinsurance arrangement. All reinsurance arrangements must be documented and filed with the Authority within 30 days of commencement of the financial year.
- (7) The Authority may call for further information or explanations in respect of the reinsurance programme of an (re)insurer and may issue such direction, as it considers necessary;
- (8) Every (re)insurer shall file with the Authority any new reinsurance arrangement, giving full details, documentation, reasons for such an arrangement together with the approval of the Board of Directors within 15 days of holding the Board meeting. The (re)insurer shall further ensure that the renewal of such a reinsurance arrangement coincides with financial year.
- (9) (Re)Insurers shall place their reinsurance business outside India with only those reinsurers who have over a period of the past five years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a credit rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency. The (re)insurers shall consider past claims performance of the reinsurers while accepting their participation in the reinsurance programme. Placements with other reinsurers shall require the approval of the Authority. (Re)Insurers may also place reinsurances with Lloyd's syndicates taking care to limit placements with individual syndicates to such shares as are commensurate with the capacity of the syndicate.
- (10) The Indian Reinsurer shall organise domestic pools for reinsurance surpluses in fire, marine hull and other classes in consultation with all insurers on basis, limits and terms which are fair to all insurers and assist in maintaining the retention of business within India at such

percentages as the Authority may specify from time to time. The arrangements so made shall be submitted to the Authority within three months of the formation of such pools, for approval.

- (11) Surplus over and above the domestic reinsurance arrangements class wise can be placed by the (re)insurer independently with any of the reinsurers complying with sub-regulation (7) subject to the following limits of the total reinsurance premium ceded outside India being placed with any one reinsurer:

Rating of Reinsurers (as per Standard & Poor and applicable to other equivalent international rating agencies)	Limit of cession allowed under Regulation 3(11)
BBB of Standard & Poor	10%
Greater than BBB and upto & including AA of Standard & Poor	15%
Greater than AA upto & including AAA of Standard & Poor	20%

Where it is necessary in respect of specialised insurance to cede a share exceeding such limit to any particular reinsurer, the (re)insurer may seek the specific approval of the Authority giving reasons for such cession.

- (12) Every insurer shall offer an opportunity to the Indian Reinsurer to participate in its facultative and treaty surpluses before placement of such cessions outside India. The Indian reinsurer shall set up appropriate market-wide reinsurance arrangements for this purpose.
- (13) Every (re)insurer shall be required to submit to the Authority information and returns relating to its reinsurance transactions in such forms as the Authority may specify or require together with its annual accounts.

4. Inward Reinsurance Business

- (1) Every (re)insurer wanting to write inward reinsurance business shall have a well-defined underwriting policy approved by its Board of Directors for underwriting inward reinsurance business.
- (2) The (re)insurer shall file with the Authority, at least forty five days before the commencement of each financial year, its underwriting policy stating the classes of business, geographical scope, underwriting limits and profit objective.
- (3) The (re)insurer shall ensure that decisions on acceptance of reinsurance business are made by persons with necessary knowledge and experience.
- (4) The (re)insurer shall also file any changes to the underwriting policy as and when a change is made duly approved by its Board of Directors.

5. Outstanding Loss Provisioning

- (1) Every (re)insurer shall make outstanding claims provisions for every reinsurance arrangement accepted on the basis of loss information advices received from Brokers/ Cedants and where such advices are not received, on an actuarial estimation basis.
- (2) In addition, every (re)insurer shall make an appropriate provision for incurred but not reported (IBNR) claims on its reinsurance accepted portfolio on actuarial estimation basis.

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/12/Exty.]